# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांचौर, जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी :– प्रमोद कुमार (आर.ए.एस)

मुकदमा संख्या :– 13/2016

जी.सी.एम.एस. नंबर :– 2016/00014

| प्रार्थीगण | अप्रार्थीगण |
| --- | --- |
| रामकिशन पुत्र हीराराम वगैरह | रतना पुत्र रिड़मल वगैरह |

## प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

**तारीख रजु :– 05.04.2016**

उपस्थिति :–

1. प्रार्थीगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री सदराम बिश्नोई उपस्थित।
2. अप्रार्थीगण संख्या 1, 3, 8 लगायत 11 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री जालाराम पूनिया उपस्थित।
3. अप्रार्थीगण संख्या 2, 4 लगायत 7 व 12 लगायत 15 बावजूद तामील (सूचना) के अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही।

:– निर्णय :–

दिनांक :– 01.12.2025

संक्षिप्त में प्रार्थना–पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम धमाणा में हम प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 11 के संयुक्त खातेदारी का खेत आया हुआ है जो पहले हरजी, रतना, बाबु, जयराम, राणा, लादू, धर्मा पिसरान रिड़मल के नाम खातेदारी थी, जिसके पुराने खसरा नंबर 134, 121, 131, 132, 133, 120 इत्यादि रकबा क्रमशः 2 बीघा 8 बिस्वा, 7 बीघा 3 बिस्वा, 9 बीघा 17 बिस्व, 08 बीघा 11 बिस्वा, 9 बीघा 7 बिस्वा, 8 बिस्वा के आये हुए है जिसमें रिड़मल के सात पुत्रों का समान हक था, जिसमें से दो अलग अलग बैचाननामा के जरिये लादू, धर्मा पिसरान रिड़मल के अपना उक्त आराजी में 2/7 हिस्सा बैचान कारकुट कर दिनांक 08 सितम्बर 1994 को कब्जा हमें सुपुर्द कर दिया, जिसकी बैचान रजिस्ट्री बही संख्या 1 जिल्द संख्या 126, सिलसिला नंबर 474/94, सफा नंबर 95 दिनांक 07.09.1994 को पंजिबद्व किया गया तब से राजस्व रेकर्ड में हमारा नाम खातेदार की हैसियत से दर्ज है तथा उसी रोज खातेदार राणा ने अपने खातेदारी के खेत खसरा नंबर 121, 132, 133, 120 में अपना संपूर्ण हिस्सा बैचान कारकूट कर कब्जा हमें सुपुर्द कर दिया, जिसकी बैचान रजिस्ट्री भी उसी रोज बही संख्या 1 जिल्द संख्या 126, सिलसिला नंबर 474/94, सफा नंबर 95 दिनांक 07.09.1994 को पंजिबद्व किया उसी [illegible] है तथा खातेदारी में नाम इन्द्राज है। उक्त खातेदारी के पुराने खसरा नंबर 134, [illegible] 132, 133, 120 में 2/7 हिस्सा तथा खसरा नंबर 121, 132, 133, 120 में भी 1/7 हि[illegible] हमारे नाम किया जा चुका है तथा हमारे खातेदारी से लगता है, जहां हमारा कब्जा काश्त [illegible] उक्त खसरा नंबर के नये सर्वे के दौरान नये सृजित नंबर 199, 200, 201 जुमले रकबा 0.07 हैक्टेयर में रामकिशन पुत्र हीरा 1/7 हिस्सा रतनाराम, जयराम पिसरान रिड़मल 2/7 हिस्सा नरींगाराम पुत्र धूड़ाजी 1/7 हिस्सा व रघुनाथ व सुखराम के नाम 3/7 हिस्से की खातेदारी दर्ज है। अतः प्रार्थना–पेश कर निवेदन है कि ताफैसला मूल वाद इस अमर की अस्थाई निषेधाज्ञा बहक

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2026.01.22 11:43:48 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी सांचौर)

प्रार्थीगण विरूद्व अप्रार्थीगण सादिर फरमावें कि धमाणा के खेत खसरा नंबर 547, 548, 549 जुमले रकबा 3.76 हैक्टेयर में अप्रार्थीगण किसी तरह की दखलंदाजी कब्जा काश्त नहीं रकें न ही किसी अन्य से करावें तथा खेत खसरा नंबर 199, 200, 201, 202, 203, 204, 2015, 216, 1720／203, 1721／215 में से 2.368 हैक्टेयर में हमारे खरीदसुदा कब्जे की भूमि में जो हमारे रहवासीय ढ़ाणी व उससे लगती हुई आयी हुई है उस पर न तो स्वयं दखलंदाजी करें, तथा न ही किसी अन्य से करावें। इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमावें तथा इस भूमि में किसी तरह का कोई कच्चा या पक्का निर्माण नहीं करें तथा न ही भूमि आगे बैचान, रहन, आदि करें।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण संख्या 1, 3, 8 लगायत 11 की ओर से जवाब प्रार्थना—पत्र व काउण्टर टी.आई कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना—पत्र आधारहीन, निराधार, मिथ्या व अप्रार्थीगण को तंग परेशान करने के लिए पेश किया है जो विधि विरूद्व होने से खारिज फरमावें तथा अप्रार्थी के खातेदारी कब्जाकाश्त सुदा, उपयोग उपभोग में अवरोध न तो प्रार्थीगण स्वयं पैदा करें तथा न ही अन्य किसी मजदूर, एजेण्ट, प्रतिनिधि से करावें तथा न कच्चा पक्का निर्माण करें। इस आशय की काउन्टर टी.आई मूल वाद के अंतिम निस्तारण तक अप्रार्थीगण के पक्ष में व प्रार्थीगण के विरूद्व जारी फरमावें।

मैंने उभयपक्षकारान् की बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का भली भांति अध्ययन व अवलोकन किया गया प्रार्थीगण प्रार्थना—पत्र में वर्णित वादग्रस्त आराजी के संबंध में उभयपक्षकारान् को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा मूल वाद के निस्तारण तक पाबन्द किया जाना उचित प्रतीत होने से प्रार्थना—पत्र स्वीकार किया जाता है।

:— **आदेश** :—

अतः मूल वाद के निस्तारण तक इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि ग्राम धमाणा की विवादग्रस्त आराजी में उभयपक्षकारान् मौके व राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

(प्रमोद कुमार, **आर.ए.एस**)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी सांचौर

निर्णय आज दिनांक **01.12.2025** को सर—ए—इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी सांचौर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2026.01.22 11:43:48 IST
Reason: SelfAttested